भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1483
दिनांक 10 फरवरी, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

अत्याधुनिक स्कैन मशीनों का आयात

1483. श्री डी. एम. कथीर आनन्द:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी से सीटो स्कैन और एमआरआई स्कैन उपकरणों सहित अत्याधुनिक स्कैन मशीनों के आयात को बढ़ाने और सुकर बनाने के लिए कोई सक्रिय कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान आयात की गई स्कैन मशीनों और चिकित्सा उपकरणों की वर्ष-वार, निर्माता-वार देश-वार कुल संख्या कितनी है और इस पर कितना व्यय किया गया है;
(घ) क्या सरकार ने अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों और स्कैन मशीनों के स्वदेशी उत्पादन और आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) सरकार द्वारा तमिलनाडु सहित देश में सीटी और एमआरआई स्कैन मशीनों सहित अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों के लिए चिकित्सा उपकरण विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

<u>उत्तर</u>
<u>रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा)</u>

(क), (ख), (घ), (ङ): सरकार ने घरेलू विनिर्माण क्षमता को सशक्त करने के लिए चिकित्सा उपकरणों के लिए *उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना सहित विभिन्न उपाय किए हैं* ताकि सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन उपकरणों सहित चिकित्सा उपकरणों का स्वदेशी उत्पादन और आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और इसे अनुलग्नक-1 पर दर्शाया गया है। चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत, चार (4) आवेदकों को क्रमशः सीटी स्कैन के विनिर्माण के लिए और तीन (3) आवेदकों को एमआरआई स्कैन उपकरण के लिए अनुमोदित किया जाता है।

(ग): डीओसी के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, आयात के शीर्ष छह देशों के ब्यौरों के साथ स्कैन मशीनों सहित चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(च): चिकित्सा उपकरण पार्कों का संवर्धन योजना के अंतर्गत, सरकार चिकित्सा उपकरण पार्कों में विश्व स्तरीय साझा बुनियादी सुविधाओं के विनिर्माण के लिए चार राज्यों हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को सहायता प्रदान करती है जो उनके द्वारा विकसित किए जा रहे हैं। अभी तक इन चारों राज्यों को 30 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की जा चुकी है।

अनुलग्नक-1

चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपाय

- चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई है
- वर्ष 2019 में, ***"साझा सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता"*** नामक औषध विभाग की उप-योजना के अंतर्गत, आंध्र प्रदेश मेडटेक ज़ोन (एएमटीजेड) को सुपरकंडक्टिंगचुंबकीय कॉइल परीक्षण सुविधा हेतु एक साझा बुनियादी ढांचा स्थापित करने के लिए 25 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को अनुमोदन दिया गया था।
- इसके अतिरिक्त वर्ष 2020 में, ***"चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन के लिए योजना"*** नाम से संशोधित योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत, इन राज्य सरकारों द्वारा विकसित किए जा रहे **उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश** में आने वाले चार चिकित्सा उपकरण पार्कों में साझा सुविधाओं के विनिर्माण के लिए प्रत्येक को 100-100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। यह एक अवसंरचना सहायता योजना है, जिसमें औद्योगिक इकाइयों को पार्कों में साझा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये पार्क विनिर्माण हब के रूप में सामने आएंगे और पूरी तरह से चिकित्सा उपकरणों के लिए समर्पित सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करेंगे। पार्कों के पूरा होने की अपेक्षित तारीख जून, 2024 है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, चार राज्यों को 30-30 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान की पहली किश्त जारी की जा चुकी है।
- *इसके अलावा 2020 में* ***"चिकित्सा उपकरणों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना"*** नामक एक योजना शुरू की गई। वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2027-28 की अवधि में इस योजना का वित्तीय परिव्यय 3,420 करोड़ रुपये है। इस योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करके कुछ निर्धारित उच्च-प्रौद्योगिकी चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण का समर्थन करना है। योजना के अंतर्गत निर्धारित चिकित्सा उपकरण कैंसर देखभाल/रेडियोथेरेपी चिकित्सा उपकरण; रेडियोलॉजी और इमेजिंग चिकित्सा उपकरण (आयनीकरण और गैर-आयनीकरण विकिरण उत्पाद दोनों) और परमाणु इमेजिंग उपकरण; कार्डियो रेस्पिरेटरी कैटेगरी और रीनल केयर चिकित्सा उपकरण के कैथेटर सहित एनेस्थेटिक्स और कार्डियो-रेस्पिरेटरी चिकित्सा उपकरण; और कॉक्लियर इम्प्लांट्स और पेसमेकर जैसे इम्प्लांटेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित सभी इम्प्लांट्स हैं। सीटी स्कैन और एमआर और स्कैन उपकरणों के विनिर्माण के लिए क्रमशः चार (4) आवेदकों को और 3 आवेदकों को अनुमोदन दिया जाता है।
- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने "**वर्ष *2017 में सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता)***" की नीति लाने और चिकित्सा उपकरण से संबंधित प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए औषध विभाग (डीओपी) को नोडल विभाग के रूप में नामित किया। इसके पश्चात औषध विभाग ने उक्त नीति के अंतर्गत श्रेणी-I, श्रेणी-II और गैर-

स्थानीय आपूर्तिकर्ता की परिभाषा निर्धारित की। केंद्र सरकार के अस्पतालों द्वारा किए जाने वाले चिकित्सा उपकरणों की सार्वजनिक खरीद में घरेलू विनिर्माताओं को वरीयता देने की नीति के अंतर्गत पहल की गई है। सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) नीति आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

- ***चिकित्सा उपकरण नियम, 2017*** को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था। ये नियम चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता के संदर्भ में विनियामक ढांचा तैयार करते हैं। इसने उपकरणों के संपूर्ण दायरे में विनियामक निरीक्षण का विस्तार किया और चिकित्सा उपकरणों से जुड़े जोखिम के स्तर के आधार पर उन्हें चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया। श्रेणी और ख चिकित्सा उपकरण (कम जोखिम और मध्यम जोखिम) को अक्टूबर, 2022 से एमडीआर, 2017 के अंतर्गत लाइसेंसिंग में लाया गया है और शेष श्रेणी ग और घ चिकित्सा उपकरण को अक्टूबर, 2023 से अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत लाया जाएगा।

अनुलग्नक-II

चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात का मूल्य (अमेरीकी डालर मिलियन)				
वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22
3266.99	3676.74	3646.53	3568.64	5441

स्रोत: ईईपीसी, भारत

चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात के लिए शीर्ष देश (अमेरीकी डालर मिलियन)			
क्र.सं	देश	2020-21	2021-22
1	चीन	768.44	1377
2	अमेरीका	547.9	818.6
3	जर्मनी	493.7	593.7
4	सिंगापुर	367.4	532.9
5	जापान	195.3	281.2
6	मलेशिया	25.21	31.58

स्रोत: ईईपीसी, भारत

*****